(जी. एस. संधवालिया, जे.)

जी**.** एस**.** संधवालिया से पहले**,** जे**.**

राजेश कुमार**-**याचिकाकर्ताकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और प्रतिवादी

2016 का सी**.** डब्ल्यू**.** पी**.** सं**. 8278**

6 दिसंबर, 2016

भारत का संविधान**, 1950-**अनुच्छेद **226-**परिणाम का एकतरफा संशोधन**-**याचिकाकर्ता ने बी**.** ए**.** में पारित घोषित किया। **(**अंतिम वर्ष**) 20.07.2013** पर**-**उन्होंने **26.08.2013** पर विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया**-**वे दिसंबर**, 2015** में **5** वें सेमेस्टर की परीक्षा में उपस्थित हुए**-** विश्वविद्यालय ने उन्हें बी**.** ए**.** में अंग्रेजी विषय में फेल घोषित कर दिया। **(**अंतिम वर्ष**)-** याचिकाकर्ता को मौका दिए बिना परिणाम को एकतरफा रूप से संशोधित किया गया**-** परिणामस्वरूप**,** एल**.** एल**.** बी**.** पाठ्यक्रम में उसका प्रवेश रद्द कर दिया गया**-**याचिकाकर्ता ने सिविल रिट याचिका दायर की**-**अनुमति**-**आयोजित**-**जहां छात्र की ओर से कोई धोखाधड़ी या गलत प्रतिनिधित्व नहीं है और विश्वविद्यालय द्वारा लगभग **3** साल की अवधि के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है**,** विश्वविद्यालय को यह रुख अपनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि कार्रवाई उचित है।

यह अभिनिर्धारित करते हुए कि परिणामस्वरूप, इस न्यायालय की राय है कि जहां छातर की ओर से कोई धोखाधड़ी या गलत निरूपण नहीं है और विश्वविद्यालय द्वारा लगभग 3 वर्षों की अवधि के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है और उम्मीदवार को मौका दिए बिना परिणाम को एकतरफा रूप से संशोधित किया गया है, विश्वविद्यालय को इस तरह का रुख अपनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि कार्रवाई उचित है।

(पैरा 8)

आगे यह अभिनिर्धारित किया कि उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान रिट याचिका की अनुमति दी जाती है।दिनांकित 17.08.2013,01.04.2016 और 06.04.2016 (अनुलग्नक पी-4, पी-7 और पी-8) क्रमशः रद्द कर दिए जाते हैं।20.07.2013 पर याचिकाकर्ता का परिणाम जारी रहेगा।विश्वविद्यालय उन्हें बी. ए. डिग्री का विस्तृत अंक पत्र जारी करेगा और कानून की बाद की परीक्षाओं के लिए उनका परिणाम भी घोषित किया जाएगा।

(पैरा 9)

आर. बी. गुप्ता, अधिवक्ता

याचिकाकर्ता के लिए।

गौरव जिंदल, एडिशनल।ए. जी, हरियाणा।,

आर. एस. टैकोरिया, अधिवक्ता

2 और 3 उत्तरदाताओं के लिए ।

प्रतिवादी 4. के लिए कोई नहीं

जी. एस. संधवालिया, जे.

(1) याचिकाकर्ता दिनांकित 17.08.2013 (अनुलग्नक पी-4) के आदेश को रद्द आदेश की मांग करता है, जिसके तहत उसे 24 अंक प्राप्त आदेश के बाद बी. ए. (अंतिम वर्ष) में अंग्रेजी विषय में असफल घोषित किया गया है।

(2) यह याचिकाकर्ता का मामला है कि उसे पहले से ही 20.07.2013 पर उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जा चुका था और दिनांकित 01.04.2016 (अनुलग्नक पी-7) जिसमें सत्र 2013-14 के लिए एल. एल. बी. पाठ्यक्रम में उसका प्रवेश रद्द कर दिया गया था, वह भी उचित नहीं था। उन्हें 06.04.2016 (अनुलग्नक पी-8) फरीदाबाद के संस्थान प्रतिवादी नं 5 द्वारा सूचित किया गया था- कि प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय द्वारा रद्द किए जाने के कारण, वह 3 वर्षीय कानुन पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने का हकदार नहीं होगा।

(3) परिणामस्वरूप, उन्होंने उपरोक्त अनुलग्नकों को भी इस आधार पर चुनौती दी है कि उन्होंने पहले ही प्रवेश ले लिया था और 3 वर्षीय कानुन पाठ्यक्रम के 6 वें सेमेस्टर में थे और उक्त निर्णय उन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना लिया गया था।अंतरिम आदेशों के अनुसार, उन्हें अपना एल. एल. बी. पाठ्यक्रम जारी रखने की अनुमति दी गई।विश्वविद्यालय के बचाव को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने 27.09.2016 पर निम्नलिखित आदेश पारित किया:-

"यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता कानून के तीसरे वर्ष में भी उपस्थित हुआ है और विवादित आदेश के कारण उसे इस तथ्य के अलावा अंग्रेजी विषय में बी. ए. के अंतिम वर्ष की परीक्षा देनी होगी कि उसे फिर से कानून करना होगा।

दाखिल किए गए लिखित बयान के अनुसार, विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त एक एजेंसी एन. वाई. एस. ए. द्वारा गलती की गई थी।

ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय की राय है कि विश्वविद्यालय को यह निर्णय लेना चाहिए कि क्या यह याचिकाकर्ता को उक्त पेपर को पास करने के लिए एक विशेष मौका प्रदान करना है, ताकि वह अपने 3 साल नहीं खोए।

प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय के वकील इस संबंध में निर्देश प्राप्त करने के लिए समय की प्रार्थना करते हैं।

08.11.2016 पर स्थगित किया गया।

इस आदेश की इस आदेश की प्रति इस न्ययाल के विशेष सचिव के हस्ताक्षर से पक्षकारो के वकील को दी जाये ।"

(4) नतीजतन, प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय के वकील ने दिनांक 05.12.2016 का संचार प्रस्तुत किया है, जिसके तहत विश्वविद्यालय ने याचिकाकर्ता को अपना बी. ए. पाठ्यक्रम पूरा करने का एक विशेष मौका देने का फैसला किया है।यह रियायत शैक्षणिक सत्र मार्च-अप्रैल, 2017 के लिए दी गई है।प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः-

"कृपया अपने ज्ञापन संख्या का संदर्भ लें। ऊपर बताए गए विषय पर एम. डी. यू./एल. सी./2016/497 दिनांक 24.11.2016।

माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा किए गए अवलोकन के आलोक में, इस मामले पर विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा विचार किया गया है और निर्णय के अनुसार श्री राजेश कुमार को बीए पाठ्यक्रम पूरा करने का एक विशेष मौका दिया गया है, जो अब मार्च/अप्रैल 2017 में आयोजित किया जाएगा। 3500/-, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अंतिम स्वीकार्य लगातार अवसर के बराबर।तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे विश्वविद्यालय के वकील को सूचित करने की व्यवस्था करें।विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों की प्रति नीचे जोड़ी गई है।

यह जानकारी और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए है।"

(5) याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि वह पहले ही अपने कानुन पाठ्यक्रम की 5 वीं और 6 वीं सेमेस्टर की परीक्षा दे चुके हैं, लेकिन लंबित मुकदमेबाजी और इस

तथ्य के कारण कि उन्हें बी. ए. के अंग्रेजी विषय में फेल घोषित किया गया है, अंततः परिणाम घोषित नहीं किया गया है।

(6) यह विवादित नहीं है कि अधिसूचना दिनांक 20.07.2013 (अनुलग्नक पी-2) के अनुसार, याचिकाकर्ता को पास के रूप में दिखाया गया था।इसके बाद उन्होंने प्रतिवादी सं. 5 के साथ कानुन पाठ्यक्रम में दिनांक 26.8.2013 को प्रवेश प्राप्त किया था। इसके बाद, उन्होंने उक्त पाठ्यक्रम में प्रगति की और दिसंबर, 2015 में आयोजित 5 वें सेमेस्टर में उपस्थित हुए।दिनांक 01.4.2016 (अनुलग्नक पी-7) के आदेशों के पारित होने के समय, वह पहले ही 6 वें सेमेस्टर में पहुँच चुके थे और इस प्रकार, अपनी योग्यता परीक्षा को रद्द करने के कारण, वह 3 साल से अधिक के शैक्षणिक वर्षों को खो देंगे।यह भी ध्यान देने योगय है कि 01.04.2016 का आदेश (अनुलग्नक पी-7) याचिकाकर्ता को कोई कारण बताओो नोटिस दिये बिना जारी किया गया है ताािक येह दिखआय़आ जा सके कि उसके अंक ठीक किए जा रहे थे और जुलाई, 2013 में घोषित उसकी पिछली स्थिति को 'असफल' स्थिति में परिवर्तित किया जा रहा था। विश्वविद्यालय ने अपने लिखित बयान में अपनी गलती स्वीकार की है और एजेंसी पर दोष मढ़ने की कोशिश की है जो 14 परिणामों को संसाधित करने के लिए नियुक्त किया गया था।इस बीच, याचिकाकर्ता ने विधि पाठ्यक्रम में भी प्रगति की है और लगभग उसे पूरा कर लिया है, जो प्रतिवादी-विश्वविद्यालय से संबद्ध है।

(7) उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की राय है कि अब जो अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जा रहा है, उसके परिणामस्वरूप एक शैक्षणिक सत्र का नुकसान होगा और जो याचिकाकर्ता के लिए बिना उसकी गलती के प्रतिकूल होगा।यह सुनिश्चित करने के लिए कि याचिकाकर्ता एक शैक्षणिक सत्र नहीं खोएगा, जो पहले नहीं किया गया है, उचित कारण बताओो नोटिस जारी करके इस प्रक्रिया का सहारा लेने के लिए प्रतिवादी के लिए खुला था। यहां तक कि इस न्यायालय ने भी 27.09.2016 पर आदेश पारित किया था, लेकिन विश्वविद्यालय को उक्त आदेश पर कार्रवाई आदेश में 2 महीने से अधिक का समय लगा और याचिकाकर्ता को दिसंबर में पूरक परीक्षाओं में बैठने का मौका दिया जा सकता था, लेकिन कार्रवाई में देरी के कारण, उनका शैक्षणिक सत्र जुलाई-अगस्त, 2017 तक बढ़ा दिया जाएगा।

(8) परिणामस्वरूप, इस न्यायालय की राय है कि जहां छात्र की ओर से कोई धोखाधड़ी या गलत प्रस्तुति नहीं है और विश्वविद्यालय द्वारा लगभग 3 वर्षों की अवधि के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है और उम्मीदवार को मौका दिए बिना परिणाम को एकतरफा रूप से संशोधित किया गया है, तो विश्वविद्यालय को यह रुख अपनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि कार्रवाई उचित है।प्रणय कावडोजी

राजेश कुमार-याचिकाकर्ताकर्ता बनाम हरियाणा राज्य और प्रतिवादी

बारापत्रे बनाम पंजाब विश्वविद्यालय और अन्य 1 मामले में इस न्यायालय की खण्ड पीठ के फैसले पर भरोसा किया जा सकता है, जिसमें इसी तरह की परिस्थितियों में, परिणाम को 14

महीने के बाद संशोधित किया गया था और छात्र को फिर से दोबारा परीक्षा देने वाला घोषित किया गया था। उन्होंने एम. बी. ए. पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने के बाद नौकरी ली थी और संशोधन अनुग्रह अंकों की गणना में गलती का पता लगाने पर था।तदनुसार यह अभिनिर्धारित किया गया कि किसी भी धोखाधड़ी या गलत निरूपण की अनुपस्थिति में में जब याचिकाकर्ता जीवन में बस गया था, तो विश्वविद्यालय परिणाम को संशोधित करना उचित नहीं था।प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः-

"9. सामूहिक रूप से तथ्यों पर विचार करने पर, हम पाते हैं कि परिणाम 5.8.2003 पर घोषित किया गया था, जिससे याचिकाकर्ता को उत्तीर्ण घोषित किया गया था।मान लीजिए, उक्त परिणाम को अधिसूचित कर दिया गया था।प्रमाणपत्र के बल पर, इस प्रकार प्राप्त याचिकाकर्ता ने नौकरी के लिए आवेदन किया और तब से एक या दूसरे नियोक्ता के साथ कार्यरत है।यह पहली बार है कि अक्टूबर, 2004 में, यानी 14 महीनों के बाद, प्रतिवादी ने परिणाम को संशोधित किया है जिससे याचिकाकर्ता को फिर से उपस्थित होने के लिए कहा गया है।

10. यह विवाद में नहीं है कि प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता को सुने बिना उसके परिणाम को संशोधित किया है।यह भी विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता ने कोई धोखाधड़ी या गलत निरूपण नहीं किया था ताकि प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया जा सके।इसके अलावा हम पाते हैं कि प्रारंभिक घोषणा के 14 महीनों के बाद परिणाम को संशोधित किया गया है, जिसके भीतर याचिकाकर्ता जीवन में बस गया था।यदि किसी त्रुटि के कारण नियमितीकरण के तहत कोई कार्रवाई की जानी थी, तो उसे उचित समय के भीतर किया जाना चाहिए था। निश्चित रूप से 14 महीने की देरी उचित नहीं है।

11. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता को विवादित कार्रवाई करने से पहले नहीं सुना गया था और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि परिणाम को संशोधित किया गया है और अस्पष्ट और अनुचित देरी के बाद पास से फिर से प्रकट होने के लिए बदल दिया गया है, हम प्रतिवादी की कार्रवाई को पूरी तरह से मनमाना और अनुचित पाते हैं।

12. हम, तदनुसार, याचिका की अनुमति देते हैं और विवादित पत्रों/आदेशों को रद्द करते हैं।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा राजेश कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 2017

15

(जी. एस. संधवालिया, जे.)

याचिका की अनुमति दी गई।"

(9) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान रिट याचिका सविकार कि जाति है। आदेश दिनांकित 17.08.2013,01.04.2016 और 06.04.2016 (अनुलग्नक पी-4, पी-7 और पी-8) क्रमशः रद्द कर दिए जाते हैं।20.07.2013 का याचिकाकर्ता का परिणाम जारी रहेगा। विश्वविद्यालय उन्हें बी. ए. डिग्री का विस्तृत अंक पत्र जारी करेगा और कानून की बाद की परीक्षाओं के लिए उनका परिणाम भी घोषित किया जाएगा।

जे. एस. मेहंदीरत्ता

अस्वीकरण स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा से इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

निधि तंवर